सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	[illegible]	प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थी [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र बिन्दु क व ख के आधार पर [illegible] 1, 2, व 3 [illegible] [illegible] से प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। प्रार्थी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पेश हो। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अरशदीप बरार (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अरशदीप बराड(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 37/2021

1. गोविन्दराम पुत्र स्व0 श्री नाथूराम उम्र 76 साल, जाति रैगर, निवासी गोविंदराम रैगर की ढाणी गांव पचार तहसील व जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र छीतर दत्तक पुत्र रामचन्द्र उम्र लगभग 45 साल, जाति रैगर, निवासी रैगरों का मौहल्ला, गांव पचार तहसील व जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।
3. थानाधिकारी पुलिस थाना कालवाड जयपुर महानगर पश्चिम कार्यालय गांव कालवाड तहसील व जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 23/12/2021

निर्णय

वादी अधिवक्ता रमेश घायल द्वारा दिनांक 09.07.2021 को वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अभिवचन किया कि राजस्व ग्राम पचार पटवार हल्का पचार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड़ तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 312 पुराना 275 खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम एक के नाम वर्तमान में दर्ज चली आ रही है तथा खाता संख्या 98 पुराना 88 खसरा नम्बर 958/1489 रकबा 0.9232 राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज चली आ रही है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर वादी का 40–45 वर्ष से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा वर्तमान मे वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1179 में ग्वार की फसल तथा खसरा नम्बर 958/1489 मे बाजरा एवं ग्वार की फसल बो रखी है उक्त कृषि भूमि मे वादी अपनी खातेदारी की खसरा नम्बर 1180 की भूमि मे टयूबवेल बना रखा है जिससे सिंचाई करता आ रहा है एवं उक्त खसरा नम्बर 1180 पर पुक्ता निर्माण कर मय परिवार निवास करता आ रहा है। इस प्रकार वादी उक्त खसरा नम्बर 1179 एवं 958/1489 के सम्पूर्ण रकबे पर 40–45 साल से प्रतिवादी कम एक एवं प्रतिवादी कम एक के परिजनो की जानकारी में काबिज काश्त बतौर मालिक काबिज काश्त करता आ रहा है। वाद [illegible] आरो उक्त खसरा नम्बर 1179, 958/1489 को विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया ग[illegible] दिनांक 01.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसका पुत्र विवादग्रस्त [illegible] को धमकी दी कि या तो पांच सात दिन में अपना कब्जा [illegible] में मुकदमा दर्ज करवाकर तुम्हें जबरन बेकब्जा कर झूठे मुकदमों में फंसा दूंगा तथा जल्द ही उक्त कृषि भूमि को दीगर लोगों को बेचान कर तुम्हे बेकब्जा करूंगा। [illegible] प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को उसकी कब्जा काश्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने का पूर्ण अंदेशा होने से वादी को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिये प्रश्नगत वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी विवादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना किसी बाधा के बतौर मालिक स्वामी निरन्तर प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके पूर्वजो व परिजनो की जानकारी मे निर्बाध रूप से काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1179 सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 958/1489 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 के बतौर खातेदार नाम को हजब करवाकर वादी को अपना नाम उक्त खसरा नम्बर के खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज करवाने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 958/1489 रकबा 0.9232 हैक्टेयर का 1/2 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त कृषि भूमि के दस्तावेजों में वादी का नाम खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

वाद पत्र दर्ज कर सभी पक्षकारों की पूर्ण तामील करवाई गई बाद तामील अनुपस्थित रहने व जवाब पेश न करने के क्रम में प्रतिवादी 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाई अमल में लाई गई व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जवाब बन्द किया गया। वाद पत्र के आधार पर निम्न लिखित तनकी कायम कर पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई।

1. आया वादी प्रतिवादीगण के पिछले 40–50 साल से बतौर मालिक काबिज काश्त है।

.....जिम्मेवादी

2. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 व उनका पुत्र जबरन कब्जा/बेचान कर बेदखल करने पर उतारू है।

.....जिम्मेवादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

.....जिम्मेवादी

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.01.2022 को प्रदर्श 1 से प्रदर्श 6 के साक्ष्य करवाए गए। साक्ष्य में सभी गवाहों ने पिछले कई सालों से लगातार वादी का कब्जा होना बताया। साक्ष्य उपरान्त न्यायहित में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु तहसीलदार जयपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 16.02.2022 को तहसीलदार जयपुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसका सार निम्नलिखित है:–

1. मुताबिक सेटलमेन्ट खतौनी ग्राम पचार संख्या 2034 के ग्राम पचार के खसरा नम्बर 958/1489 रकबा 3.13 बीघा के कृषक कॉलम में नाथ्य वल्द देवल्या व रामचन्दर वल्द गोविन्दा कौम रैगर सा. देह हि. बराबर तथा खसरा नम्बर 1179 रकबा 1.07 बीघा के कृषक कॉलम में रामचन्दर पुत्र गोविन्दा कौम रैगर सा. देह के नाम दर्ज है। नकल सेटलमेन्ट खतौनी सलंग्न है।
2. ग्राम पचार के नामान्तरण संख्या 1135/05.08.2003 (विरासत) से रामचन्द्र पुत्र गोविन्दा रैगर के फौत होने पर खसरा नम्बर 1179 रकबा 1.07 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 958/1489 रकबा 3.13 बीघा मे हिस्सा 1/2 रामकुवांर पुत्र छीतर रैंगर निवासी पचार के नाम दर्ज हुई थी। नकल नामान्तरण संख्या 1135 सलंग्न है।
3. मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी ग्राम पचार सम्वत् 2075–2078 के ग्राम पचार के खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 की खातेदारी रामकुंवार पुत्र छीतर [illegible] पुत्र रामचन्द्र जाति रैगर सा. देह के नाम था खसरा नम्बर 958/[illegible] रकबा 0.9232 की खातेदारी में रामकुंवार पुत्र छीतर जाति [illegible] दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।
4. इस प्रकरण की मौका जांच हेतु दिनांक 14.02.20[illegible] को हमराह पटवारी हल्का पचार के मौका देखा गया। मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष जानकारी की गई। मौके पर उपस्थित खातेदार रामकुंवार पुत्र छीतर रैंगर द्वारा इस भूमि के लगान भुगतान की 10 रसीदे तथा कालवाड़ वृहत कृषि ऋणदारी सहकारी समिति लिमिटेड कालवाड़ की फोटोप्रति पेश की जो रामचन्द्र पुत्र गोविन्दा रैगर के नाम जारी है। मौके पर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप ब्रार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्र.

द्वारा भू–प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम पचार के खसरा नम्बर 1179 के पर्चा की फोटो प्रति पेश की गई जो सलंग्न है व 11 रसीदों की फोटोप्रति सलंग्न है।

5. मौके पर जांच के दौरान श्योराम पुत्र महादेव जाट निवासी लालपुरा जितेन्द्र वर्मा पुत्र रामकरण वर्मा निवासी पचार राजेन्द्र जांगिड़ पुत्र सुखदेव जागिड़ निवासी पचार कालूराम यादव पुत्र नरसाराम यादव निवासी लालपुरा द्वारा 50 रू के स्टाम्प पर अभिकथन पेश किया जिसके अनुसार ग्राम पचार के खसरा नम्बर 1179 में हिस्सा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 958/1489 में हिस्सा 1/2 रामकुंवार पुत्र छीतर रैगर की खातेदारी भूमि है तथा वर्तमान में रामकुंवार द्वारा तथा इससे पहले श्री रामचन्द्र पुत्र गोविन्दा रैगर द्वारा काश्त की जाती रही है। मौका जांच के समय उपस्थित लोगो जांच के समय उपस्थित लोगों द्वारा बनाया गया कि सुवालाल यादव, शंकर लाल यादव, राकेश कुमार यादव व श्रवण लाल गुर्जर ने वादी गोविन्दराम के साथ मिलकर षड़यत्रपूर्वक खातेदार रामकुंवार की भूमि हडपने की नियत से न्यायालय में वाद पेश किया है।

6. वाद के साथ सलंग्न शपथ पत्र देने वाले व्यक्तियों सुवालाल यादव, राकेश कुमार यादव, श्रवण लाल गुर्जर, शंकर लाल यादव को वखक्त जांच मौके पर बुलाया गया लेकिन मौके पर उपस्थित नही हुए। मौके पर वादी गोविन्दराम ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसमें उक्त भूमि वादी गोविन्दराम की होना प्रतीत होता हो। फर्द मौका दिनांक 14.02.2022 सलंग्न है।

अतः राजस्व रिकोर्ड, फर्द मौका जांच, खातेदार रामकुंवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो व मौके पर उपस्थित लोगो द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित अभिकथनों से यह स्पष्ट होता है कि–

I. ग्राम पचार के खसरा नम्बर 958/1489 रकबा 0.9232 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 तथा खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 हैक्टेयर में हिस्सा सम्पूर्ण खातेदार रामकुंवार की खातेदारी व काश्तशुदा भूमि है।

II. इस भूमि के पूर्वखातेदार रामचन्द्र पुत्र गोविन्दा रैगर के नाम समय–समय पर लगान की रसीदे जारी हुई है तथा कृषि ऋणदायी सहकारी समिति लिमिटेड कालवाड़ लि. कालवाड़ की रसीद भी रामचन्द्र रैगर के नाम जारी है।

III. सेटलमेन्ट खतौनी में भी कृषक क कॉलम में वर्तमान खातेदार रामकुवांर के दत्तक पिता रामचन्द्र का नाम दर्ज है।

IV. वाद के सलंग्न शपथपत्रों में शपथग्रहिता राकेश कुमार यादव की उम्र 35 वर्ष, श्रवण गुर्जर की उम्र 31 वर्ष, शंकरलाल यादव की उम्र 38 वर्ष दर्ज है। इनके शपथ पत्र में यह लिखा गया है कि इन्होने इस भूमि के वर्तमान खातेदार व इसके पूर्वजो को कभी काश्त करते हुए नही देखा। यहा यह बता रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 03.05.1998 को अर्थात लगभग 24 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उस समय इन तीनो शपथग्रहिताओ की उम्र मात्र 7 वर्ष, 11 वर्ष व 14 वर्ष थी। सम्पूर्ण तथ्यो से ऐसा प्रतीत होता है कि [illegible] में सुवालाल यादव, राकेश कुमार यादव, श्रवणलाल यादव, [illegible] यादव द्वारा गलत शपथ पत्र पेश किया गया है। [illegible] गये। हमने पूर्ण पत्रावली व मौका रिपोर्ट के साथ नि[illegible] कि यह वाद में अंकित विवादग्रस्त प्रस्तुत साक्ष्य व मौका रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर पा[illegible] भूमि खाता संख्या नया 312 पुराना 275 खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी का 1/2 व 1/2 हिस्सा दर्ज है परन्तु वादी का यह कथन है कि व इस पूर्ण जमीन पर पिछले 40–45 वर्षो से काबिज है व इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किए जाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:54 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्र.म

ऐसी स्थिति में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि

(क) क्या वादी प्रतिवादीगण के पिछले 40–50 साल से बतौर मालिक काबिज काश्त है।

(ख) क्या कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की जा सकती है।

बिन्दु संख्या क का निर्णय प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट के प्रकाश में किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट व दस्तावेज़ो व बयानों सभी से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी रामकुंवार पुत्र छीतर व उससे पहले उसके दत्तक पिता रामचन्द्र इस विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 312 पुराना 275 खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 हैक्टेयर पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा वादी ने अपने कब्जे को साबित करने हेतु केवल मौखिक साक्ष्य करवाए परन्तु उसके कब्जे का साबित करने हेतु किसी भी किस्म का कोई दस्तावेज पेश नही किया । दौराने मौका रिपोर्ट भी वादी द्वारा प्रस्तुत प्रर्दश उपस्थित नही हुए व उपस्थित अन्य गवाहों ने कथन किया वादी ने प्रतिवादी के कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने के आश्य से यह वाद पेश किया है। अतः बिन्दु सं0 क व तनकी संख्या 1 पूर्ण तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तय होती है।

बिंदु सं0 ख कि क्या कब्जे के आधार पर घोषणा की जा सकती है ? इस बाबत् राजस्व मण्ड़ल राजस्थान पूर्ण पीठ निर्णय का विवेचन किया गया, इस निर्णय में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। cases 2001 10 (ssc 619), 1997 7 scc 297, AIR 1966 SC1974, AIR 1996 SC2823, AIR 1979 Raj 215 का विवेचन किया गया, इसमें भी यह स्पष्ट है कि "Possession of one cosharer can never be treated adverse to other co-sharer" अतः बिन्दु ख भी पूर्ण तौर पर प्रतिवादी के पक्ष में तय होती है।

उक्त लिखित सभी बिन्दु क व ख के आधार पर तनकी संख्या 1,2 व 3 वादी के खिलाफ तय होती है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:54 IST
Reason: SelfAttested

(अरशदीप बराड़)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) मुकाम जयपुर व इजलास श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)

भूरा बनाम राजस्थान सरकार

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकद्दमा नम्बर – दावा 150/2007

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बिन्दु क व ख के आधार पर तनकी संख्या 1, 2 व 3 वादी के खिलाफ तय होने से वादी का वाद खारिज किया जाकर राजस्व ग्राम पचार पटवार हल्का पचार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड़ तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 312 पुराना 275 खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.3415 हैक्टेयर में इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... — ..... मुबलिग ..... — ..... बाबत् ..... — .....
..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... — ..... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... — ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/2/2022 को जारी की गई।

मुहर
दस्तखत अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
आहलमद सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	[illegible]	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
भीजान	00	00	भीजान	00	00

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीकेन का चाहे डिगरीके जरिये दिखाया हो।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:45:54 IST
Reason: SelfAttested